उत्तर प्रदेश शासन

पशुधन अनुभाग-1

संख्या-71/2017/3632/37-1-2017-3(27)/2015

लखनऊ: दिनाँक: 19 दिसम्बर, 2017

कार्यालय-आदेश

डा0 नेमीचन्द्र सेवा निवृत्त मुख्य पशुचिकित्सधिकारी के विरूद्व जनपद हमीरपुर में तैनाती के दौरान काम धेनु डेयरी योजना/मिनी कामधेनु डेयरी योजना के क्रिन्यावयन में लापरवाही बरतने, विभागीय निर्देशों का पालन न करने, निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति न करने आदि आरोपों के दृष्टिगत कार्यालय आदेश संख्या-1904/37-1-2015-3(27)/2015, दिनांक 20-05-2015 द्वारा उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक अनुशासन एवं अपील नियमावली, 1999 के नियम-7 के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित की गयी। संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही के संचालन हेतु डा0 अनिमेष पाल सिंह अपर निदेशक, ग्रेड-2, वी0पी0 संस्थान, को जॉच अधिकारी नामित किया गया। जॉच अधिकारी द्वारा जॉच आख्या में आरोप-1 सिद्व पाया गया। सिद्व पाये गये आरोप के दृष्टिगत शासन के पत्र संख्या-559/37-1-2016-3(27)/2015, दिनांक 14-06-2017 द्वारा डा0 नेमीचन्द्र का अभ्यावेदन प्राप्त किया गया जो उनके पत्र दिनांक 11-11-2017 द्वारा प्राप्त हुआ।

2- जॉच अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या, डा0 नेमीचन्द्र मुख्य पशुचिकित्सधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये अभ्यावेदन एवं अन्य संगत अभिलेखों पर सम्यक विचारोपरांत एतदद्वारा आरोप सिद्व न होने के दृष्टिगत श्री राज्यपाल डा0 नेमीचन्द्र मुख्य पशुचिकित्सधिकारी, हमीरपुर के विरूद्व संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को बिना दण्ड के समाप्त किये जाने के आदेश प्रदान करते हैं।

डा0 सुधीर एम0 बोबडे

प्रमुख सचिव।

संख्या-71/2017/3632/37-1-2017-3(27)/2015, तददिनांक,

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

2- संयुक्त निदेशक (प्रशासन), पशुपालन विभाग उ0प्र0 लखनऊ।

3- संबंधित अधिकारी, द्वारा निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग।

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सत्येन्द्र कुमार सिंह

विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।